रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052022-236092
CG-DL-E-28052022-236092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2304]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944
No. 2304]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISTHA 6, 1944

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

का.आ. 2430(अ).—केन्द्रीय सरकार, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारियल विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नारियल विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नारियल विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 1 के उपविनियम (3) में "धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (क) और धारा 7 की उप-धारा (2) तथा (4)" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर "और धारा 7 की उप-धारा (1), (2) तथा (4)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

3. मूल विनियमों के विनियम 2 में,-

(क) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

'(घ) "अध्यक्ष" से धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (क) के अधीन नियुक्त बोर्ड का गैर-कार्यकारी अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घक) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;'

(ख) खंड (च) में, "धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (क) और धारा 7 की उप-धारा (2) तथा (4)" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर "और धारा 7 की उप-धारा (1), (2) तथा (4)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

4. मूल विनियमों के विनियम 6 में,-

(क) उप-विनियम (1) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-विनियम (3) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (1) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल विनियमों के विनियम 10 में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

7. मूल विनियमों की अनुसूची-1 में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

8. मूल विनियमों की अनुसूची-2 में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 4-4/2019-एमआईडीएच (सीडीबी)/83026(ई)]

डॉ गीता मीटिना, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, धारा 3, उपधारा (ii) में का.आ. सं. 1318 (अ), तारीख 18 नवंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2022

S.O. 2430(E).— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 20 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Coconut Development Board Employees (Conditions of Service) Regulations, 2003, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Coconut Development Board Employees (Conditions of Service) Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Coconut Development Board Employees (Conditions of Service) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as the principal regulations) in regulation 1, in sub-regulation (3), for the words, brackets, letter and figures "clause (a) of sub-section (4) of Section 4 and sub-sections (2) and (4) of Section 7", the words, brackets, letter and figures "clause (a) of sub-section (4) of section and sub-sections (1), (2) and (4) of Section 7" shall be substituted.

3. In the principal regulations, in regulation 2, -

(a) for clause (d), the following clauses shall be substituted, namely :-

"(d) "Chairman" means non-executive Chairman of the Board appointed under clause (a) of sub-section (4) of section 4;

(da) "Chief Executive Officer" means Chief Executive Officer of the Board appointed under sub-section (1) of section 7 of the Act;"

(b) in clause (f), for the words, brackets, letter and figures "clause (a) of sub-section (4) of Section 4 and sub-section (2) and (4) of Section 7" the words, brackets, letter and figures "clause (a) of sub-section (4) of section 4 and sub-sections (1), (2) and (4) of section 7 of the Act" shall be substituted.

4. In the principal regulations, in regulation 6,-

(a) in sub-regulation (1), for the word “Chairman”, the words “Chief Executive Officer” shall be substituted;

(b) in sub-regulation (3), for the word “Chairman”, the words “Chief Executive Officer” shall be substituted.

5. In the principal regulations, in regulation 7, in sub-regulation (1), for the word “Chairman”, the words “Chief Executive Officer” shall be substituted.

6. In the principal regulations, in regulation 10, for the word “Chairman”, the words “Chief Executive Officer” shall be substituted.

7. In the principal regulations, in Schedule-I, for the word “Chairman” wherever it occurs, the words “Chief Executive Officer” shall be substituted.

8. In the principal regulations, in Schedule-II, for the word “Chairman” wherever it occurs, the words “Chief Executive Officer” shall be substituted.

[F. No. 4-4/2019-MIDH (CDB)/83026(E)]
Dr. GEETHA MEETINA, Jt. Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1318(E), dated the 18th November, 2003.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.05.28 13:24:01 +05'30'